भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1461
31/07/2026 को उत्तरार्थ

विषयः एमएसपी पर उपज बेचने में आने वाली समस्याएँ
1461 श्री महेंद्र भट्टः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि अनेक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी उपज बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और
(ख) यदि हां, तो किसानों को एमएसपी का लाभ प्राप्त होना सुनिश्चित करने तथा कृषि उपज की सरकारी खरीद बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रत्येक वर्ष, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) रखने का पूर्व-निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इन उत्पादों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाने पर कुल उत्पादन में से, केवल विपणन योग्य अधिशेष ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होता है|

किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त होना सुनिश्चित करने के लिए विभाग, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) नामक घटकों सहित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) कार्यान्वित करता है| पीएसएस के तहत, बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाने पर केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य एजेंसियों के माध्यम से अधिसूचित दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और चना), तिलहन (मूंगफली छिलके सहित, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, सरसों/रेपसीड, कुसुम) और कोपरा की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है, जिससे किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान किया जाता है। पीडीपीएस के तहत, उपज की भौतिक खरीद किए बिना पूर्व-पंजीकृत किसानों को एमएसपी और अधिसूचित तिलहन के विक्रय/मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जाता है। एमआईएस के तहत, एमएसपी के अंतर्गत न आने वाली नाशवान कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अनुरोध पर, बाजार मूल्यों में 10% या उससे अधिक की गिरावट की स्थिति में समर्थन प्रदान किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच हानि का बंटवारा 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25:75) होता है ।

पीएसएस के तहत, संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, सरकार कटाई का सीजन आरंभ होने से पहले राज्य उत्पादन के 25% तक की खरीद को अनुमति देती है ताकि पात्र उपज की समय पर एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हो सके। इसके बाद, राज्य सरकार केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के परामर्श से पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोलती है ताकि किसानों को एमएसपी पर अपनी उपज बेचने में सुविधा हो। किसानों को खरीद कार्यों में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारें, केंद्रीय नोडल एजेंसियां और राज्य स्तरीय एजेंसियां उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मापदंडों, खरीद की तारीखों और खरीद केंद्रों के स्थान के

बारे में व्यापक प्रचार करती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों के परामर्श से गोदामों/वैज्ञानिक भंडारण सुविधा की व्यवस्था, बोरी की व्यवस्था, परिवहन, वजन मशीन, नमी/बाह्य पदार्थ/तेल की मात्रा की जांच करने वाली मशीनों आदि सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करती हैं। खरीद अवधि आम तौर पर 90 दिनों तक होती है और पात्र किसानों को शामिल करने की सुविधा के लिए संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। आधार-आधारित किसान पंजीकरण और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आरंभ किए गए हैं ताकि वास्तविक किसानों से ही खरीद सुनिश्चित की जा सके और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जा सके। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी) के अतिरिक्त, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) को भी खरीद कार्यों की पहुंच बढ़ाने और किसानों को एमएसपी खरीद तक पहुंच सुगम बनाने के लिए शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय नोडल एजेंसियों को भी अपने खरीद केंद्रों के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से सीधे अरहर, मसूर, उड़द और चना सहित अधिसूचित दलहन की खरीद करने की अनुमति दी गई है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए गेहूं और धान की खरीद करता है। उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकारें खरीद केंद्र खोलती हैं। किसानों की सुविधा के लिए मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं। खरीद प्रचालन राज्यों द्वारा विकसित ऑनलाइन खरीद पोर्टलों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाता है।

विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) योजना के तहत, डीएफपीडी राज्य सरकारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण के लिए एमएसपी पर किसानों से मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का एवं रागी) की खरीद करने की अनुमति देता है। मोटे अनाज की खरीद का दायरा खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2028-29 तक एमएसपी खरीद तंत्र के अंतर्गत माइनर मिलेट {फॉक्सटेल, प्रोसो, कोडो, लिटल मिलेट (कुटकी), बकव्हीट और अमरंथस} को शामिल करते हुए और भी बढ़ाया गया है।

कपास और कच्चे जूट की खरीद एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) द्वारा की जाती है। किसानों को एमएसपी खरीद की सुविधा प्रदान करने और खरीद प्रचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए, सीसीआई ने अपने खरीद नेटवर्क का विस्तार किया है, किसान पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है, एसएमएस आधारित अपडेट प्रदान किए हैं, जागरूकता अभियान चलाए हैं और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं। इसी प्रकार, जेसीआई ने समय पर बाजार हस्तक्षेप और प्रभावी एमएसपी प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल किसान पंजीकरण, ऑनलाइन खरीद और निगरानी प्रणाली तथा प्रौद्योगिकी आधारित फसल निगरानी तंत्र कार्यान्वित किए हैं।

एमएसपी बढ़ने से देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि के आंकड़ों से स्पष्ट है। अखिल भारतीय खरीद विवरण, साथ ही वर्ष 2014-2026 (जून 2026 तक) की अवधि के दौरान किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि नीचे दी गई है:

	खरीद (एलएमटी में)	**एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)**
अखिल भारत	12,819	27.80
